न्यायालय अति0 जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

प्रा.पत्र संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/42/2025	2025/296	04.06.2025	16.01.2026

—उनवान—

1. सरकार जरिये कृषि अधिकारी (पौ0सं0) एवं निरीक्षक बीज/उर्वरक/कीटनाशी एवं सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) अलवर (राज0)।

—प्रार्थी

बनाम

1. मैसर्स श्री द्वारीकाधीश पोलिमर्स प्रा0लि0 एफ 447, 448, 449 एम.आई.ए. प्रतिनिधि श्री सोमदत्त शर्मा पुत्र श्री तेजीराम शर्मा जाति ब्राह्मण पता अंबेडकर नगर, अलवर राज0।

--अप्रार्थी

प्रार्थना--पत्र अन्तर्गत धारा 6—ए
आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थितः—
01.श्री रेखा योगी, कृषि अधिकारी —विभागीय प्रतिनिधि
02.श्री जाकर खां, साहुन खान —वकील अप्रार्थी

---::निर्णय::---

प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत औद्योगिक उपयोग के लिए प्रतिबन्धित नीम यूरिया उर्वरक मात्रा 132X50 kg को राजसात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र 6 (A) प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया।

प्रार्थी ने यह 6ए प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि दिनांक 26.05.2025 को कृषि आयुक्तालय राजस्थान जयपुर के पत्रांक 3670—72 दिनांक 16.05.2025 के द्वारा एम.आई.ए. अलवर में फर्म/कम्पनी मैसर्स श्री द्वारीकाधीश पोलिमर्स प्रा0लि0 एफ 447, 448, 449 एम.आई.ए. अलवर का शिकायत के आधार पर निरीक्षण कर कम्पनी में सन्देहजनक नीम कोटेड यूरिया पाये जाने पर टीम द्वारा 'उक्त औधोगिक प्रयोग यूरिया जिसको श्री द्वारीकाधीश पोलिमर्स प्रा०लि० फर्म HICS Tradex LLP, 1st Floor, 21 Century Plaza, DDA Community Center, Sector-8, Rohini, Delhi के बिल ईनवाईस क्रमांक HTL/25—26/037 दिनांक 21.04.2025 से खरीदा गया (प्रति संलग्न) जो कि मानक स्टेंन्डर्ड जिसमे उत्पादन एवं विपणनकर्ता को कोई विवरण अकंन नही होने के कारण उक्त नीम कोटेड यूरिया को सन्देहजनक माना जाकर नमूना आहरित किया गया। जिसका नमूना कोड AOM/F/2025--26/002 है। जिसका नमूना राजकीय उर्वरक प्रयोगशाला को भिजवाया जा रहा है।

टीम के सदस्य श्री संदीप कुमार शर्मा उप परियोजना निदेशक (आत्मा) अलवर एवं श्रीमती रेखा योगी, कृषि अधिकारी (पौ0सं0) कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) अलवर द्वारा दिनांक 26.05.2025 को लगभग दोपहर 12:15 बजे मौके पर जाकर उक्त सन्देहजनक नीम कोटेड यूरिया की जब्ती मात्रा (132X50 kg) हेतु टीम के सदस्यों के साथ मौका पर्चा रिपोर्ट तैयार की गई। फर्म के प्रतिनिधि से चर्चा कर अस्थाई रूप से फर्म के ही परिसर में ही कम्पनी की अभिरक्षा में रखवाया गया। फर्म के प्रतिनिधि श्री सोमदत्त शर्मा पुत्र तेजीराम शर्मा जाति ब्राहम्ण पता अंबेडकर नगर, अलवर, (राजस्थान) को सुपुर्दगी देकर रसीद प्राप्त की गई।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के खण्ड 28 (1) (डी) के तहत सीजर नोटिस देकर उपलब्ध स्टॉक को जब्त किया गया। उर्वरक नियंत्रण आदेश 1965 के क्लोज 19, 21 एवं 25 के तहत उक्त संदेहजनक नीम कोटेड यूरिया की दिनांक 26.05.2025 को जब्ती की गई। उक्त प्रकरण में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 (ए) के तहत जब्त उर्वरक को उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत राजसात करने एवं निस्तारण की कार्यवाही हेतु प्रार्थना पत्र पेश है।

अप्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता न्यायालय द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के क्रम में लिखित जवाब/सुपुर्दनामा पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी कम्पनी श्री द्वारारिकाधीश पोलीमर प्राईवेट लिमिटेड, का कार्य स्थल एफ–447–448–449 मत्स्य उधौगिक नगर, अलवर–301030 राज० मे स्थित है जो कैमिकल प्रोडेक्ट तैयार करती है एवं प्रार्थी कम्पनी द्वारा दिनांक 12.08.2025 को रेजूलेशन पास करते हुये श्री सोमदत्त तिवाडी, जनरल मैनेजर को कम्पनी के हित में अधिकृत अधिकारी नियुक्त किया हुआ है जो समस्त प्रकार के कार्यालय, न्यायिक, कार्यपालिक मजि० के यहां कम्पनी के प्रतिनिधित्व करने हेतु नियुक्त किया हुआ है जिस अधिकार पत्र के मार्फत श्री सोमदत्त तिवाडी को कम्पनी के हितार्थ परिवाद पत्र पेश करने, हलफनामा पेश करने, अधिवक्ता नियुक्त करने एवं अन्य अदालती कार्यवाही करने हेतु अधिकार प्रदान किये हुये है इसलिये यह प्रार्थना पत्र सुपुर्दनामा प्रार्थी कम्पनी की ओर से अधिकृत अधिकारी श्री सोमदत्त तिवाडी के हस्ताक्षरो द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है।

दिनांक 26.05.2025 को अप्रार्थी जितेन्द्र सिंह फौजदार, निरीक्षक बीज/उर्वरक/कीटनाशी एवं कृषि अधिकारी (मिशन) कार्यालय संयुक्त निदेशक कृषि (वि०) जिला परिषद, अलवर राज० द्वारा प्रार्थी की कम्पनी मे निरीक्षण करते हुये 132 बैग प्रत्येक बैग 50 किलोग्राम टैक्नीकल ग्रेड यूरिया को संदेहप्रद मानकर सील मोहर करके प्रार्थी कम्पनी मे ही सील्ड किये गये जिसकी नियमानुसार फर्द जब्ती बनाते हुये जब्त कर प्रार्थी कम्पनी के अधिकृत अधिकारी को अस्थाई तौर पर सुपुर्दगी दी गई थी एवं मौके पर जब्त किया गया यूरिया से सैम्पल लेकर निरीक्षण हेतु प्रयोगशाला भिजवाया गया था जिसमें प्रयोगशाला द्वारा भी किसी प्रकार की कोई खामी नही पाई गई है एवं बैगो से लिये गये सैम्पलो को सही माना एवं किसी प्रकार का कोई संदेह नही माना गया ऐसी स्थिति में उक्त जब्तशुदा 132 बैग प्रत्येक बैग 50 किलोग्राम टैक्नीकल ग्रेड यूरिया को प्रार्थी कम्पनी स्थाई सुपुर्दगी पर प्राप्त करने का अधिकारी है।

जब्तशुदा 132 बैग प्रत्येक बैग 50 किलोग्राम टैक्नीकल ग्रेड यूरिया को प्रार्थी कम्पनी द्वारा नियमानुसार खरीद किया गया है एवं उक्त जब्तशुदा यूरिया प्रार्थी कम्पनी को उपयोग व उपभोग करने का अधिकार प्राप्त है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सुपुर्दनामा स्वीकार किया जाकर जब्तशुदा यूरिया स्थाई सुपुर्दगी पर दिया जाना न्यायोचित है। वर्तमान मे वर्षा का मौसम है एवं जब्तशुदा यूरिया के खराब होने का अन्देशा बना हुआ है इसलिये न्यायहित मे प्रार्थी को जब्तशुदा यूरिया सुपुर्दगी पर दिया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र सुपुर्दनामा/जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी कम्पनी को अप्रार्थी द्वरा जब्तशुदा 132 बैग प्रत्येक बैग 50 किलोग्राम टैक्नीकल ग्रेड यूरिया को स्थाई सुपुर्दगी पर दिलाये जाने के आदेश देने की कृपा करे।

उभयपक्ष की बहस सुनी।

प्रार्थी (विभागीय प्रतिनिधि) ने अपने प्रार्थना पत्र में यह कथन किया है कि कृषि आयुक्तालय, जयपुर के पत्र दिनांक 16.05.2025 की अनुपालना में दिनांक 26.05.2025 को टीम द्वारा मैसर्स श्री द्वारीकाधीश पोलिमर्स प्रा0लि0, एम.आई.ए. अलवर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान परिसर में 132 बैग (प्रत्येक 50 किग्रा) यूरिया पाया गया। विभागीय टीम को संदेह हुआ कि यह "नीम कोटेड यूरिया" (कृषि उपयोग हेतु सब्सिडी वाला) है जिसका उपयोग औद्योगिक कार्य में किया जा रहा है। यद्यपि फर्म ने बिल प्रस्तुत किया, परन्तु बैग्स पर उत्पादन एवं विपणनकर्ता का विवरण अंकित नहीं होने के कारण इसे "संदिग्ध" माना गया। प्रार्थी ने उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के खंड 19, 21, 25 एवं 28(1)(डी) के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए जब्तशुदा माल को राजसात करने का निवेदन किया।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

अप्रार्थी ने अपने जवाब और सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र में तर्क दिया कि उनकी कंपनी (मैसर्स श्री द्वारीकाधीश पोलिमर्स) केमिकल प्रोडक्ट बनाती है और उन्होंने औद्योगिक उपयोग हेतु "टेक्निकल ग्रेड यूरिया" नियमानुसार बिल इनवॉइस के माध्यम से खरीदा है। अप्रार्थी के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि जब्त किया गया यूरिया कृषि योग्य सब्सिडी वाला नीम कोटेड यूरिया नहीं है, बल्कि टेक्निकल ग्रेड यूरिया है जिसे उद्योग में उपयोग करने की अनुमति है। सबसे महत्वपूर्ण तर्क यह प्रस्तुत किया गया कि विभाग द्वारा जो नमूना लेकर राजकीय उर्वरक प्रयोगशाला, नांता फार्म, कोटा भेजा गया था, उसकी रिपोर्ट में कोई कमी नहीं पाई गई है। प्रयोगशाला ने नमूने को मानक स्तर का माना है। अतः माल को राजसात करने का कोई औचित्य नहीं है और इसे स्थाई रूप से मुक्त किया जाना चाहिए।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, मौका फर्द, जब्ती मेमो और राजकीय उर्वरक प्रयोगशाला, नांता फार्म, कोटा से प्राप्त विश्लेषण रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया गया। विभागीय कार्यवाही का मुख्य आधार "संदेह" था कि उक्त यूरिया कृषि सब्सिडी वाला है। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रयोगशाला रिपोर्ट के अनुसार, आहरित नमूना (AOM/F/2025–26/002) परीक्षण में मानक पाया गया है। प्रयोगशाला रिपोर्ट में यह पुष्टि नहीं हुई है कि उक्त यूरिया कृषि योग्य 'नीम कोटेड यूरिया' है या इसमें कोई अमानक तत्व मौजूद हैं। जब प्रयोगशाला रिपोर्ट में नमूना "असफल" घोषित नहीं किया गया है, तो यह साबित होता है कि जब्त किया गया पदार्थ "टेक्निकल ग्रेड यूरिया" ही है, जिसके क्रय के दस्तावेज (बिल/इनवॉइस) अप्रार्थी द्वारा निरीक्षण के समय भी प्रस्तुत किए गए थे।

चूंकि राजकीय प्रयोगशाला की रिपोर्ट में नमूना सही पाया गया है और विभाग द्वारा लगाए गए संदेह की पुष्टि वैज्ञानिक परीक्षण में नहीं हुई है, अतः मात्र संदेह के आधार पर माल को राजसात किया जाना न्यायोचित नहीं है। अप्रार्थी अपनी मिलकियत के सबूत और वैध उपयोग का औचित्य साबित करने में सफल रहा है। आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए के तहत किसी भी वस्तु को राजसात करने के लिए "आदेश का उल्लंघन" प्रमाणित होना आवश्यक है। चूँकि प्रयोगशाला रिपोर्ट और खरीद के वैध दस्तावेज मौजूद हैं, अतः उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 का उल्लंघन प्रमाणित नहीं होता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार योग्य है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। अप्रार्थी मैसर्स श्री द्वारीकाधीश पोलिमर्स प्रा0लि0, अलवर के पक्ष में जब्तशुदा 132 बैग यूरिया (50 किग्रा प्रत्येक) को अविलंब मुक्त करने का आदेश दिया जाता है। कृषि अधिकारी (मिशन) एवं निरीक्षक बीज/उर्वरक/कीटनाशी एवं सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) अलवर (राज0) को यह निर्देश दिये जाते है कि जप्तशुदा यूरिया उर्वरक के 132 बैग प्रत्येक 50 किलोग्राम वजनी सुपुर्दगीगार से नियमानुसार प्राप्त कर अप्रार्थी/फर्म मैसर्स श्री द्वारीकाधीश पोलिमर्स प्रा0लि0 एफ 447, 448, 449 एम.आई.ए. प्रतिनिधि श्री सोमदत्त शर्मा पुत्र श्री तेजीराम शर्मा जाति ब्राह्मण पता अंबेडकर नगर, अलवर को सुपुर्द करावें। निर्णय की प्रति कृषि अधिकारी (मिशन) एवं निरीक्षक बीज/उर्वरक/कीटनाशी एवं सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) अलवर (राज0) को पालनार्थ भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.01.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम),
अलवर (राजस्थान)